न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–09 / 2022 दायर दिनांक– 13.01.2022

GCMS NO:- 2022/20 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

गोपी आ0 छोगालाल जाति खटीक नि0 देई तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

वनाम

1. अनिता पत्नी हेमराज जाति खटीक नि0 देई तहसील नैनवॉ।
2. श्रीमान तहसीलदार साहव, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आरटी एक्ट

उपरिथतिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई तहसील नैनवॉ के खसरा नम्बर 84 / 4260 रकबा 0.4854 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है, पर जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम देई से डेलपुरा जाने वाले पक्के डामर रोड से फटकर खसरा नम्बर 84 / 4259 जो कि सिवायचक भूमि है, के उत्तरी मेर पर होता हुआ खसरा नम्बर 4832 / 4260 मे उत्तरी मेर के सहारे होता हुआ प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थी की खातदेारी भूमि पर पहुंचता है। उक्त रास्ता करीवन 14 फीट चौडा है जिसमे होकर प्रार्थी अपने कृषि उपकरणों को लेकर वर्षो से आवागमन कर रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट अ मे दर्शाया गया है। तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत मे जाने का नही है।

यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित रास्ते की राजस्व नक्शे मे तरमीम नही होने से प्रत्यार्थीया के मन मे वदनियति आ गयी और प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे व परिशिष्ट अ मे वर्णित रास्ते को वंद करने की धमकियां देने लगी और कहने लगी कि इस रास्ते को मै वंद करके रहूंगी ओर तुम्हे इस रास्ते पर होकर किसी भी किमत पर आवागमन नही करने दूंगी। यह कि प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित व परिशिष्ट अ मे प्रदर्शित ए से वी रास्ते को घोषित कराये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलव किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी द्वारा वकालातनामा व ईकवाली जवाव पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार नैनवॉ के पत्रांक / राजस्व / 2025 / 948 दिनांक 04.6.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 84 / 4260 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 4259 / 4456, 4258 / 4444, 4832 / 4260 मे से होता हुआ रास्ता चाहा गया है जवकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए मौके पर देई नैनवॉ रोड से फटकर पूर्व दिशा मे प्रचलित रास्ता मौजूद है जो मौके पर वहाल व चालू है।

पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट व तहसीलदार रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया प्रार्थी के खातेदारी खेत तक पहुंचने के लिए पहले से ही एक प्रचलित रास्ता पूर्वी दिशा मे मौजूद है जो कि मौके पर वहाल व चालू है, के अतिरिक्त अन्य नवीन रास्ता कायम करना उचित प्रतीत नही होता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवा